

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल
ई-मेल enep@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 28 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरंत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/20 SAMVIDA/WAITING/04	श्री अजय प्रताप सिंह शक्तावत पिता श्री औंकार सिंह शक्तावत, म.नं.14, ग्राम जयसिंहपुरा, वार्ड -02 नीमच मध्य प्रदेश 458441 (अनारक्षित) मो.9827763673	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड त्यौंथर जिला रीवा

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भौति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

(2)

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3)

2. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अध्वान)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर.कृ.पृ.उ....

(4)

कमांक 383 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल,दिनांक 10/01/2024

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी घयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रीवा की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड त्योंथर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री अजय प्रताप सिंह शक्तावत पिता श्री आँकार सिंह शक्तावत, म.नं.14, ग्राम जयसिंहपुरा, वार्ड -02 नीमच मध्य प्रदेश 458441 (अनारक्षित) मो.9827763673 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल

ई-मेल eneph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12

क्रमांक 33 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
OBC/NIL/OPEN/20 SAMVIDA/WAITING/03	श्री जसपाल सिंह नपित पिता श्री नारायण दास, म.न. 1 ग्राम सेंडारी, पोस्ट सेंडारी, जिला -निवाडी मध्य प्रदेश 472446 (अन्य पिछडा वर्ग) मो.7651820104	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड भिण्ड जिला भिण्ड

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

W

10/1

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 5. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3)

- 12 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023.GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 15 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 16 यह नियुक्ति आदेश भविष्य में निर्णित होने वाली रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.24580/2023 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
- 17 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अध्वान)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर.कृ.पू.उ....

क्रमांक 388 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अद्योषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अद्योषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अद्योषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अद्योषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल मुरैना की ओर सूचनार्थ अद्योषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग मुरैना की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लो0स्वा0यां0उपखण्ड भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री जसपाल सिंह नपित पिता श्री नारायण दास, म.न. 1 ग्राम सेंडारी, पोस्ट सेंडारी, जिला -निवाडी मध्य प्रदेश 472446 (अन्य पिछडा वर्ग) मो.7651820104 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल
ई-मेल eneph@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 31 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/20 SAMVIDA/WAITING/05	श्री प्रकाश मण्डलोई पिता श्री मांगीलाल मण्डलोई, ग्राम बारिया गाँव, गंधवानी, जिला -धार मध्य प्रदेश 454446 (अनुसूचित जनजाति) मो.8827209466	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड सागर जिला सागर

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3)

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अध्वान)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर.क.पृ.उ....

क्रमांक 386 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 10/01/2024

01. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार,(ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार,ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त,कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय सागर की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री,लो0स्वा0यां0उपखण्ड सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री प्रकाश मण्डलोई पिता श्री मांगीलाल मण्डलोई, ग्राम बारिया गाँव, गंधवानी, जिला -धार मध्य प्रदेश 454446 (अनुसूचित जनजाति) मो.8827209466 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल
ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 27

स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

//कार्यालयीन आदेश//

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरंत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/20 SAMVIDA/WAITING/01	श्री राहुल श्रीवास्तव पिता श्री आई बी श्रीवास्तव, डी-32 संध्या विहार कॉलोनी, सताई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश 471001 (अनारक्षित) मो.8085172029	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड मउगंज जिला रीवा

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

(2)

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

3. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
4. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
7. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
8. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

.....निरंतर...कृ.पू.उ.....

(3)

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अध्वान)
प्रमुख अभियंता



....निरंतर.कृ.पू.उ....

(4)

क्रमांक 382 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 10/01/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मउगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रीवा की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मउगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री राहुल श्रीवास्तव पिता श्री आई बी श्रीवास्तव, डी-32 संध्या विहार कॉलोनी, सताई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश 471001 (अनारक्षित) मो.8085172029 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल
ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 30 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायावि/24

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरंत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/20 SAMVIDA/WAITING/02	श्री रमेश किराडे पिता श्री राजाराम, ग्राम अगल गाँव, राजपुर, जिला -बडवानी मध्य प्रदेश 451449 (अनुसूचित जनजाति) मो.9993980441	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड चिचौली जिला बैतूल

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का


10/1

(2)

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



(3)

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका कमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका कमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अथवान)
प्रमुख अभियंता

.....निर्देश नं. १२.....

(4)

क्र. 385 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय बैतूल की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड चिंचौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री रमेश किराडे पिता श्री राजाराम, ग्राम अगल गाँव, राजपुर, जिला -बडवानी मध्य प्रदेश 451449 (अनुसूचित जनजाति) मो.9993980441 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल
ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 29 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रू.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरंत पदस्थापना
SC/NIL/FEMALE/20 SAMVIDA/WAITING/02	सुश्री रिंकी पटले पति/पिता श्री भाउलाल पटले, ग्राम बारा, बारासिवनी, जिला -बालाघाट मध्य प्रदेश 481331(अनुसूचित जाति) मो.8770981313	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड रायसेन

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।




2. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अंधवान)
प्रमुख अभियंता

(4)

क्रमांक 384 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 10/01/2024

01. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार,(ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार,ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त,कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायसेन की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री,लो0स्वा0यां0उपखण्ड रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित सुश्री रिंकी पटले पति/पिता श्री भाउलाल पटले , ग्राम बारा, बारासिवनी ,जिला -बालाघाट मध्य प्रदेश 481331(अनुसूचित जाति) मो.8770981313 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल
ई-मेल eneph@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 32 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरंत पदस्थापना
OBC/NIL/OPEN/MERIT/HOLD/18	श्री संजीव नखाते पिता श्री तिलक राम नखाते, 71, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पिछे, वार्ड न. 20 लालबरी, जिला -बालाघाट मध्य प्रदेश 481441 (अन्य पिछडा वर्ग) मो.9302036742	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बैतूल जिला बैतूल

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-


1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 1. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3)

- 12 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023.GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 15 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 16 यह नियुक्ति आदेश भविष्य में निर्णित होने वाली रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.24580/2023 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
- 17 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अंधवान)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर.क.पू.उ....

(4)

क्रमांक 387 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 10/01/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय बैतूल की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री संजीव नखाते पिता श्री तिलक राम नखाते, 71, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पिछे, वार्ड न. 20 लालबर्सा, जिला -बालाघाट मध्य प्रदेश 481441 (अन्य पिछडा वर्ग) मो.9302036742 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल
ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 24 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रू.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
SC/NIL/OPEN/WAITING/04	श्री अजय गोयल पिता श्री रमेश चंद्र गोयल, म.न. 100, शुभम पेलस स्किम न. 51 के पास, जिला -इन्दौर मध्य प्रदेश 452006 (अनुसूचित जाति) मो.9589083111	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैके0उपखण्ड उज्जैन जिला उज्जैन

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का




प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3)

- 12 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023.GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 15 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका कमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका कमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 16 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अंधवान)
प्रमुख अभियंता

.....बिस्तर.क.पू.उ.....

(4)

क्रमांक 379 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी घयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०मैकेनिकल उपखण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री अजय गोयल पिता श्री रमेश चंद्र गोयल, म.न. 100, शुभम पेलस स्किम न. 51 के पास, जिला -इन्दौर मध्य प्रदेश 452006 (अनुसूचित जाति) मो.9589083111 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष नं. 0755-2779411-12

क्रमांक 26 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरंत पदस्थापना
OBC/NIL/FEMALE/MERIT/HOLD/07	श्री अपूर्वा चौरसिया पिता/पति श्री अरुण कुमार चौरसिया, म.न. 26, बाँयज हॉस्टल के पास, लखनादौन, जिला -सिवनी मध्य प्रदेश 480886 (अन्य पिछडा वर्ग) मो.8989484188	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैके03पखण्ड जबलपुर जिला जबलपुर

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
- 2 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

W

10/1


(2)

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 3. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3)

- 12 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023.GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 15 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 16 यह नियुक्ति आदेश भविष्य में निर्णित होने वाली रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.24580/2023 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
- 17 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


10/11
(एस.के.अथवान)
प्रमुख अभियंता

.....विस्तृत. कृ. पू. उ.....

(4)

क्रमांक 381 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 10/02/2024

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री अपूर्वा चौरसिया पिता/पति श्री अरूण कुमार चौरसिया, म.न. 26, बॉयज हॉस्टल के पास, लखनादौन, जिला -सिवनी मध्य प्रदेश 480886 (अन्य पिछडा वर्ग) मो.8989484188 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल
ई-मेल encph@nic.in दूरभाष ०७५५-२७७९४११-१२

क्रमांक 23 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरंत पदस्थापना
EWS/NIL/OPEN/WAITING/01	श्री अवनीश सिंह पिता श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम खिरा, पोस्ट महसुआ, रायपुर कर्लचुरियान जिला -रीवा मध्य प्रदेश 486114 (अर्थिक रूप से कमजोर) मो.7024723611	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैके0 उपखण्ड राजगढ जिला राजगढ

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का





प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।




(3)

- 12 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023.GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 15 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका कमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका कमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 16 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अंधवान)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर.क.पू.उ.....

(4)

नांक 378 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 16/01/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय राजगढ़ की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०मैकेनिकल उपखण्ड राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री अवनीश सिंह पिता श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम खिरा, पोस्ट महसुआ, रायपुर कर्लचुरियान जिला -रीवा मध्य प्रदेश 486114 (अर्थिक रूप से कमजोर) मो.7024723611 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल
ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 22 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद ~~कॉलम~~ (03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
UR/NIL/FEMALE/WAITING/04	सुश्री नेहा मिश्रा पिता/पति श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा, म.न. 50 वार्ड-5, आई.टी.आई के पास राम नगर, जिला -सतना मध्य प्रदेश 485881 (अनारक्षित) मो.9981727356	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैके0उपखण्ड कटनी जिला कटनी

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का



(2)

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3)

- 12 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023.GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 15 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका कमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका कमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 16 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


10/11
(एस.के.अंधवान)
प्रमुख अभियंता

.....वित्त वि. क. पू. उ.....

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अशेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अशेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी घयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अशेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अशेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अशेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय कटनी की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित सुश्री नेहा मिश्रा पिता/पति श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा, म.न. 50 वार्ड-5, आई.टी.आई के पास राम नगर, जिला -सतना मध्य प्रदेश 485881 (अनारक्षित) मो.9981727356 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल

ई-मेल eneph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12

क्रमांक 25 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 10/01/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
OBC/NIL/OPEN/MERIT/HOLD/08	श्री सजल सोनी पिता श्री उत्तम लाल सोनी, म.न. 115, करमेटा, जिला -जबलपुर मध्य प्रदेश 482002 (अन्य पिछडा वर्ग) मो.7748835475	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैके03पखण्ड भिण्ड जिला भिण्ड

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
- 2 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का




प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3)

- 12 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023.GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 15 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 16 यह नियुक्ति आदेश भविष्य में निर्णित होने वाली रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.24580/2023 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
- 17 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 10.01.2024 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अंधवान)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर.क.प.

क्रमांक 380 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24
प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग मुरैना की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०मैकेनिकल उपखण्ड भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री सजल सोनी पिता श्री उत्तम लाल सोनी, म.न. 115, करमेटा, जिला -जबलपुर मध्य प्रदेश 482002 (अन्य पिछडा वर्ग) मो.7748835475 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता